Schedule XLII-High Court (J) 19[old (M)164]

अनुमन्डल न्यायालय–असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) बनमनखी, पूर्णियाँ, बिहार

समक्ष– सतीश मणि त्रिपाठी (बिहार न्यायिक सेवा)

स्वत्व वाद सं.– 03 ⁄ 2015 सी.आई.एस.क्र.– 14303 ⁄ 2015

गोपाल मंडल एवं अन्य बनाम बच्चे लाल साह एवं अन्य

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
19.07.2025	वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 एवं 4 की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की हाजरी है। अन्य प्रतिवादीगण की कोई पैरवी नहीं है। यह वाद प्रतिवादी सं0 2 एवं 4 द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 22.06.2022 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदन को संचालित कर वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित किया गया है कि वादी की ओर से वादी सं0 2 के मुख्य परीक्षण में मृत्यु प्रमाण पत्र कब वादी सं0 2 के कब्जे में आया था तथा उसे किसने बनवाया एवं उसपर हस्ताक्षर का पहचान नहीं कराया गया है तथा वादी सं0 2 के मुख्य परीक्षण की कंडिका 4 में वर्णित लगान रसीद वाद भूमि से संबंधित नहीं है तथा उक्त लगान रसीद किसके कब्जे में था, इसका जिक्र नहीं है न ही लगान रसीद निर्गत करने वाले राजस्व कर्मचारी के साथ काम करने वाले किसी व्यक्ति की गवाही करायी गयी थी। इसके साथ ही कंडिका 4 में वर्णित फर्द नोटिस कब वादी के कब्जे में आया तथा नोटिस पर हस्ताक्षर की पहचान नहीं कराया गया है। कंडिका 6 में वर्णित सर्वे पर्चा किस पदाधिकारी के द्वारा जारी किया गया है उसका पहचान नहीं कराया गया है तथा कंडिका 7 में वर्णित निर्वाचन सूची खिष्ठा या छायाप्रति निर्वाचन सूची प्रदर्श अंकित किये जाने योग्य नहीं है, कंडिका 8 में वर्णित सुदभरना दलील कब वादी सं0 2 के कब्जे में आया इसका उल्लेख नहीं है तथा कंडिका 9 में वर्णित केवाला इस वाद भूमि से संबंधित नहीं है जिस कारण से उपरोक्त दस्तावेज प्रदर्श अंकित होने योग्य नहीं है परंतु उक्त दस्तावेज पर प्रदर्श अंकित हो गया है। अतः निवेदन है कि उक्त दस्तावेज को प्रतिवादी की आपत्ति के साथ प्रदर्श अंकित करने की कृपा की जाये। वादी की ओर से उक्त आवेदन का प्रतिउत्तर प्रस्तुत कर आपत्ति व्यक्त किया गया है कि उक्त दस्तावेज विधि अनुसार न्यायालय के द्वारा प्रदर्श अंकित किया गया है जिस कारण से प्रतिवादीगण का आवेदन खारिज किये जाने योग्य है। उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि इस वाद में दिनांक 19.03.2021 को वादी साक्षी सं0 2 के रूप में दिनेश प्रसाद मंडल का शपथ पूर्ण मुख्य परीक्षण प्रस्तुत किया गया है जिसके कंडिका 3 से कंडिका 9 तक में दस्तावेज को प्रदर्श किये जाने का अभिवचन किया गया है जिसके आलोक में न्यायालीय मुख्य परीक्षण के दौरान कंडिका 12 से 18 तक में उक्त दस्तावेज को न्यायालय के द्वारा प्रदर्श अंकित किया गया है। जिस साक्षी का प्रतिवादी सं0 2 एवं 4 की ओर से उक्त साक्षी का विधिवत प्रतिपरीक्षण किया गया है तथा उक्त	

	दस्तावेजों को बिना आपत्ति के साथ न्यायालय के द्वारा प्रदर्श अंकित किया जा चुका है। ऐसी दशा में इस स्तर पर उपरोक्त दस्तावेज को आपत्ति के साथ प्रदर्श अंकित किया जाना न्यायोचित नहीं है। वादी बहस के दौरान उक्त दस्तावेज की विश्वसनीयता के संबंध में अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्र हैं। ऐसी परिस्थिति में प्रतिवादी सं0 2 एवं 4 की तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक 22.06.2022 को **खारिज** किया जाता है। वाद आगामी दिनांक 13.08.2025 वास्ते सुनवाई। हस्ताक्षर ह0/– अ.सै.न्यायाधीश वरीय कोटि बनमनखी, पूर्णियाँ	